सत्यमेव जयते

File No. AK/2/2016/STGUP/RU-II
Government of India
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional body set up under Article 338A of the Constitution of India)

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan market, New Delhi-110 003.
Dated: 27.03.2017

To

The Senior Superintendent of Police,
Sector 14A, Gautam Budha Nagar,
Noida, Uttar Pradesh-201301.

Sub: Representation dated 31/10/2016 received from Shri Arvind Kumar Gond, S/o Shri Nandji Gond, B-13/9 Janta Flats, Sector-71, Noida, District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh regarding harassment.

Sir,

I am directed to enclose here with a copy of the Proceedings of the sitting taken by the Hon'ble Vice Chairperson in the National Commission for Schedule Tribe, New Delhi on 21.02.2017 on the above mentioned subject for necessary action. Action Taken Report may be submitted to the Commission urgently.

Encl: as above.

Yours faithfully,
(Rajeshwar Kumar)
Assistant Director

Copy to:

Shri Arvind Kumar Gond,
S/o Shri Nandji Gond,
B-13/9 Janta Flats, Sector-71, Noida,
District Gautam Budh Nagar; Uttar Pradesh

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Vice Chairperson, NCST.
2. SSA NIC (for hosting on Commission's website)

पत्रावली: AK/2/2016/STGUP/SEHRMT/RU-II

माननीय उपाध्यक्ष महोदया, सुश्री अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 21/02/2017 को अपरान्ह 3:00 बजे श्री अरविन्द कुमार गोंड पुत्र श्री नंदजी गोंड, बी-13/9, जनता फ्लैट, सैक्टर-71, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के अभ्यावेदन पर हुई सुनवाई का कार्यवृत्त ।

सुनवाई तिथि 21.02.2017

सुनवाई में उपस्थित अधिकारियों की सूची अनुलग्नक"क" पर है ।

प्रकरण का विवरण

श्री अरविन्द कुमार गोंड पुत्र श्री नंदजी गोंड, बी-13/9, जनता फ्लैट, सैक्टर-71, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के आवास में जानबूझकर दुर्भावना से पानी एवं मलमूत्र बहाकर सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने एवं जातिसूचक अपशब्दों द्वारा अपमानित करने के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 31/10/2016 पर आयोग द्वारा पत्र संख्या AK/2/2016/STGUP/SEHRMT/RU-II दिनांक 20/12/2016 द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश को अभ्यावेदन पर पैरावार टिप्पणी एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है । कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्ध नगर द्वारा लगभग 3 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी आयोग को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने दिनांक 21/02/2017 को अपरान्ह 3:00 बजे बैठक सुनिश्चित की ।

दिनांक 21/02/2017 को अपरान्ह 1500 बजे बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्ध नगर उपस्थित नहीं हुये । कार्यालय पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्ध नगर से श्री योगेन्द्र कुमार, एस.एस.आई. उपस्थित हुये । श्री योगेन्द्र कुमार ने माननीया उपाध्यक्ष को अवगत करवाया कि प्रकरण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मध्य विवादास्पद है ।

प्रकरण अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के मध्य विवादास्पद होने के कारण प्रकरण में आयोग द्वारा कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

सुश्री अनुसुईया उइके / Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष / Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्ध नगर की व्यक्तिशः उपस्थिति नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की गई तथा पुलिस विभाग द्वारा समय पर अनुसूचित जनजाति के मामलों में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने तथा कार्यवाही नहीं करने के मामलों का समय पर निस्तारण नहीं होना मुख्य समस्या है । वर्तमान प्रकरण इसका जीवन्त उदाहरण है । यदि पुलिस विभाग द्वारा समय पर जवाब प्रस्तुत किया जाता तो आयोग को सूचना प्राप्त हो जाती कि प्रकरण अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के मध्य विवादास्पद है तो अनावश्यक सुनवाई नहीं करनी पड़ती ।

पुलिस विभाग को अनुसूचित जनजाति के प्रकरणों में तत्काल संवेदनशीलता दिखाते हुये यथोचित कार्यवाही के साथ-साथ समय पर तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करना अपेक्षित है, जिससे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को समय पर न्याय मिल सकें ।

(सुश्री अनुसुईया उइके)
उपाध्यक्ष

सुश्री अनुसुईया उइके / Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष / Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi